



कलराज मिश्र

कुलाधिपति

Chancellor

विश्वविद्यालय,  
पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी University,  
राज भवन, जयपुर - 302006  
Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांक : एफ.43(4)आरबी / 2019 / 1265

दिनांक : 18 फरवरी, 2020

### आदेश

प्रो. भंवर लाल शर्मा को राजभवन के आदेश क्रमांक एफ.43(1)आरबी/2012/827 दिनांक 01.02.2017 द्वारा पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अधिनियम, 2012 (यथा संशोधित 2014) की धारा 11(1) व 11(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चयन समिति की सिफारिश पर, राज्य सरकार के परामर्श से कार्यभार संभालने की तिथि से तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर का कुलपति नियुक्त किया गया था। प्रो. भंवर लाल शर्मा द्वारा दिनांक 22.02.2017 को मध्याह्न पूर्व कुलपति पद का कार्यभार ग्रहण किया गया। अतः प्रो. भंवर लाल शर्मा की कुलपति के पद की सेवा अवधि दिनांक 21.02.2020 को पूर्ण होने जा रही है।

उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2012 (यथा संशोधित 2017 एवं 2019) की धारा 11(3) के अन्तर्गत नियमित कुलपति की नियुक्ति में समय लगने की संभावना है।

अतः मैं, कलराज मिश्र, राज्यपाल राजस्थान एवं कुलाधिपति, पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2012 (यथा संशोधित 2017 व 2019) की धारा 11(9) व 11(10) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की सलाह से डॉ. जीतसिंह संधु, कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को अग्रिम आदेशों तक अथवा नियमित कुलपति की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, कामचलाऊ व्यवस्था अन्तर्गत अतिरिक्त प्रभार के रूप में पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के कुलपति पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित करता हूँ।

हस्ता०

(कलराज मिश्र)

राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांक : एफ.43(4)आरबी/2019/1266

दिनांक : 18 फरवरी, 2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. प्रो. भंवर लाल शर्मा, कुलपति, पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
5. डॉ. जीतसिंह संधु, कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।
6. कुलसचिव, पं. दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
7. कुलसचिव, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर।



सचिव,

राज्यपाल, राजस्थान